बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी अनुसार समस्त खातेदारान् पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। जो कि किये गये है।

हमारी राय में मौजा गोठ के वादग्रस्त खेतायों में खातेदार के रूप में संयोजित किये गये खातेदार वादी अपने हिस्से की कब्जे काश्त अनुसार एवं एक मात्र भुणाराम के दत्तक पुत्र के रूप में नियमानुसार खातेदारी दर्ज करवा सकता है, चूंकि वादी को उसकी बाल अवस्था में ही भुणाराम ने अपने पास रखकर लालन पालन किया तथा वादी को उसके माता पिता की सहमति से बाल अवस्था में गोद की समस्त रस्में अदा करते हुवे सामाजिक रिति रिवाज माफिक वादी को वादी के माता पिता ने भुणराम जी की गोद में बैठाकर मंगल गीत महिलाओं द्वारा गाकर ग्राम व परिवार के मध्य गोद में बैठाकर गुड़ मंगली बंटवाकर गोद पुत्र के रूप में स्वीकार किया। वादी की शादी भुणाराम ने ही करवाई। भुणाराम जी के राशन कार्ड व जन आधार कार्ड में ही वादी व वादी के पत्नी व बच्चों के नाम दर्ज है। इस प्रकार वादी स्वर्गीय भुणाराम पुत्र चुन्नाराम जाति जाट निवासी तेजासर तहसील डेह जिला नागौर दत्तक पुत्र है। वादी के दत्तक पिता भुणाराम का निधन 02.04.2023 को हो गया है। भुणाराम पुत्र चुन्नाराम के अलावा वादी के अन्य कोई वारिस व संतान नहीं है। वादी व वादी के पिता भुणाराम के कब्जे का काश्त का एक खेत खसरा नंबर 176 रकबा 3.1727 हैक्टेयर मौजा गोठ में स्थित रहता रहा है। अतः मौजा गोठ के खाता संख्या 110 के खेत खसरा नंबर 176 रकबा 3.1727 हैक्टेयर भूमि में वादी को एक मात्र खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है। वाद पत्र में वर्णित मुतदाविया भूमि का बंटवाड़ा/विभाजन एवं घोषणा एक मात्र वादी के पक्ष में माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबालिया जबाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा गोठ के खाता संख्या 110 के खेत खसरा नंबर 176 रकबा 3.1727 हैक्टेयर भूमि में वादी को एक मात्र खातेदार घोषित किया जाता माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबालिया जबाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया किया जाता है।

1. वादी पांचाराम सिंवर दत्तक पुत्र भुणाराम को मौजा गोठ के खाता संख्या 110 के खेत खसरा नंबर 176 रकबा 3.1727 हैक्टेयर भूमि में खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है।
3. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। बैंक के रहन यदि है तो वह यथावत बैंक के रहन ही रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
डेह (नागौर)

Scanned with CamScanner